राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/09/123 दिनांकः– 30/3/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।

विषय– एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर रखे गये जीएनएम के वर्ष 2009–10 के नवीनीकरण के संबंध में ।

———————

एनआरएचएम योजना के तहत पूर्व से अनुबंधित जीएनएम जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एसबी सिविल अपील संख्या 741/08 संतलाल यादव व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 8.5.08 की पालना में दिनांक 28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय वरीयता सूची में स्थान बनाने में सफल रहे हैं, का व्यक्तिगत अनुबंध दिनांक 31.3.09 को समाप्त हो रहा है, जिसे वर्ष 2009–10 के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये उन्ही जीएनएम के अनुबंध का नवीनीकरण किया जावे, जिनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक हो । इसके विपरीत यदि किसी जीएनएम का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा हो या आचरण संदिग्ध हो तो उनके अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया जावे ।

नवीनीकरण के लिये वित्तीय स्वीकृति अलग से मिशन निदेशक (एनआरएचएम) कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी ।

जिन जीएनएम को माननीय न्यायालय के विशिष्ट आदेशों की पालना में रखा जा रहा है / नही हटाया जा रहा है । (संदर्भः इस निदेशालय का पत्रांक नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/09/120 दिनांकः 26.3.09) उनका अनुबंध माननीय न्यायालयों के द्वारा संबंधित याचिकाओं में जारी किए जाने वाले अग्रिम/अंतिम आदेशों के अध्यधीन रहेगा, इस बात का खुलासा अनुबंध में अवश्य कर दिया जावे ।

उक्त आदेश की पालना में दिनांक 31.3.09 के पश्चात अवधि नवीनीकृत जीएनएम तथा नवीनीकृत नहीं किये गये जीएनएम की अलग अलग सूची दिनांक 15.4.09 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।